बिहार विधान परिषद दैनिक विवरणिका

संख्या- 4 सत्र- 186वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
वृहस्पतिवार, दिनांक 24.8.2017 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 3.00 अपराह्न तक

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने सृजन घोटाला एवं माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने राज्य में बाढ़ की विभीषिका से संबंधित अपने-अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया जिसपर आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी सहित पांच माननीय सदस्यों से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 104(3) के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

पुन: आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 104(3) के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

इस अवसर पर राजद एवं कांग्रेस के माननीय सदस्यगण नारेबाजी करते हुए एवं पोस्टर लहराते हुए सदन वेश्म में चले आये। जिसमें माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार आसन के नजदीक चले आये और जोर-जोर से पोस्टर लहराते हुए नारेबाजी करने लगे जबकि माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी अपने स्थान से लगातार बोलती रहीं।

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन की मेज पर रख दिए जाएं।

1. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 25, 26, 27, 28, 29, 31 एवं 32 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 30 अनागत हुआ।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 एवं 56 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 41 एवं 54 अनागत हुए।

2. औपचारिक कार्य

विधान सभा से स्वीकृत विधेयक का सदन की मेज पर रखा जाना

सचिव द्वारा बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 157 के अनुसरण में निम्नलिखित विधेयक, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23.8.2017 की बैठक में पारित हुए, सदन की मेज पर रखे गए-

1. बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96) (संख्या-2) विधेयक, 2017
2. बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017
3. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक, 2017
4. बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017
5. बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2017
6. बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017

3. परिनियत कार्य

माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद : 205 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96 के अधिकाई व्यय विवरणी की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

4. शून्यकाल

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि शून्यकाल की 2 सूचनाएं माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह एवं प्रो. नवल किशोर यादव से प्राप्त हुई हैं, जो व्यपगत हुई।

5. **आसन का नियमन**

आसन से नियमन दिया गया कि जिन ध्यानाकर्षण सूचनाओं के उत्तर तैयार हों, उन्हें माननीय मंत्रीगण सदन पटल पर रख दें।

ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार द्वारा राज्य में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की जांच के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   कोई उत्तर नहीं रखा गया।

2. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी द्वारा पटना शहर अन्तर्गत एन.एच.-30 पर बेउर मोड़ से जीरो माइल के बीच बाईपास में कट स्थानों पर सिग्नल की व्यवस्था के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   सदन पटल पर सरकार की ओर से वक्तव्य रखा गया।

3. माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार द्वारा वित्त अंकेक्षण विभाग में योगदान दे रहे राजीव रंजन गुप्ता, वरीय अंकेक्षक, बिहार का योगदान स्वीकृत कर वेतन भुगतान के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   कोई उत्तर नहीं रखा गया।

4. माननीय सदस्य, श्री हरि नारायण चौधरी द्वारा नगर परिषद्, समस्तीपुर टेचिंग ग्राउंड पर सम्राट अशोक भवन के निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   सदन पटल पर सरकार की ओर से वक्तव्य रखा गया।

5. माननीय सदस्य, श्री राजन कुमार सिंह द्वारा औरंगाबाद जिले के बारूण दाउदनगर पथ पर लखडिहरा के पटना कैनाल पर बने पुल के एप्रोच पथ के निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   कोई उत्तर नहीं रखा गया।

6. माननीय सदस्य, श्रीमती रीना देवी द्वारा अवर निबंधन पदाधिकारी, हिलसा, नालंदा द्वारा अनियमित निबंधन किए जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   सदन पटल पर सरकार की ओर से वक्तव्य रखा गया।

7. माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र भारती द्वारा राज्य के किसान सलाहकारों को कार्यक्षेत्र एवं कार्य पद्धति अनुरूप पूर्णकालिक कर्मी मानते हुए मानदेय राशि का भुगतान करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

कोई उत्तर नहीं रखा गया।

8. माननीय सदस्य, डा. उपेन्द्र प्रसाद द्वारा गया जिले के इमामगंज प्रखंड की नौडिहा पंचायत एवं छकरबंधा पंचायत को जोड़ने वाली रोहवे ग्राम स्थित लब्जी नदी पर बने पुल के पुनर्निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

कोई उत्तर नहीं रखा गया।

9. माननीय सदस्य, श्री सूरज नंदन प्रसाद द्वारा पटना जिले के बादशाही नाला की उड़ाही सहित अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

कोई उत्तर नहीं रखा गया।

(सदन वेश्म से यथावत् नारेबाजी होती रही। आसन से बार-बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के माननीय सदस्यगण जब अपने स्थानों पर नहीं गये तब अंततः सदन की कार्यवाही 2.30 अपराह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई।)

(अंतराल)

(सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही राजद एवं कांग्रेस के माननीय सदस्यगण नारेबाजी करने लगे, कुछ समय पश्चात् कांग्रेस के माननीय सदस्यगण सदन से उठकर बाहर चले गये जबकि राजद के माननीय सदस्यगण सदन वेश्म में आ गये और जोर-जोर से नारेबाजी करने लगे)

6. **राजकीय विधेयक**

1. **बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96) (संख्या-2) विधेयक, 2017**

श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96) (संख्या-2) विधेयक, 2017 पर विचार हो।

(विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96) (संख्या-2) विधेयक, 2017 पारित हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

2. **बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017**

श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 पर विचार हो।

(विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 पारित हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

3. **बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक, 2017**

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक, 2017 पर विचार हो।

(विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक, 2017 पारित हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

4. **बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017**

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो।

(विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

5. **बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2017**

श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2017 पर विचार हो।

(विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2017 पारित हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

6. बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017

श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो।

(विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

(यथावत् नारेबाजी होती रही।)

7. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री सतीश कुमार
2. श्री केदारनाथ पाण्डेय
3. श्री रणवीर नंदन
4. प्रो. संजय कुमार सिंह
5. श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा
6. डॉ. रामवचन राय
7. श्री राजेश राम
8. प्रो. नवल किशोर यादव
9. श्री नीरज कुमार
10. श्री हीरा प्रसाद बिंद
11. श्री राधाचरण साह
12. श्री वीरेंद्र नारायण यादव
13. श्री सुनील कुमार सिंह
14. श्री संजय प्रसाद

माननीय उप सभापति महोदय ने यह निदेश देने की कृपा की कि आज दिनांक 24.8.2017 को माननीय सदस्यों से प्राप्त कुल 14 निवेदनों को सदन की सहमति से 'निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक शुक्रवार, दिनांक 25.8.2017 को 11.00 पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

(हस्ताक्षर) 24/8/2017

(सुषीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- 1332 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 24.8.2017

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार 24-08-2017

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।